

## उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण।

अधिनियम की धारा 6(2) में निम्नवत् व्यवस्था है:-

“वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बंधित प्राप्तियों और व्यय के रूख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान सभा के समक्ष रखेगा।

पुनर्विलोकन रिपोर्ट में:-

(क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार पर डाली गयी बाध्यताओं की पूर्ति करने में किसी विचलन या सम्भावित विचलन को स्पष्ट किया जायगा:-

(ख) स्पष्ट किया जायेगा कि क्या ऐसा विचलन पर्याप्त है और वास्तविक या संभावी बजट सम्बंधी परिणामों में सम्बंधित है, और कितना विचलन सामान्य आर्थिक पर्यावरण और राज्य सरकार द्वारा नीति परिवर्तनों के कारण है; और

(ग) उन उपचारी उपायों को स्पष्ट किया जायगा जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए प्रस्तावित करे।

वर्ष 2008–09 के महालेखाकार से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2008–09 की तथा वर्ष 2009–2010 के पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर वर्ष 2009–10 की पुनर्विलोकन रिपोर्ट निम्नवत् प्रस्तुत की जा रही है।

(1) वर्ष 2008–09 के सम्बंध में पुनर्विलोकन रिपोर्ट:-

वर्ष 2008–09 के लिये महालेखाकार से प्राप्त वास्तविक आँकड़ों के अनुसार स्थिति निम्नवत् है:-

### तालिका—1

(धनराशि करोड़ रुपये में)

मद	बजट अनुमान 2008–09	वास्तविक आँकड़े 2008–09	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4
<b>(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ</b>			
1. राज्य का स्वयं का कर राजस्व	3119.83	3044.98	97.60
2. करेतर राजस्व	897.23	699.36	77.95
3. केन्द्रीय करों में राज्यांश	1679.83	1506.52	89.68
4. केन्द्र सरकार से अनुदान	4759.67	3384.03	71.10
5. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	10456.56	8634.89	82.58
6. उधार एवं अग्रिम की वसूली	260.24	53.56	20.58
7. कुल गैर उधार प्राप्तियाँ	10716.80	8688.45	81.07
<b>(ब) व्यय</b>			
8. राजस्व व्यय	8663.53	8395.36	96.90
9. पूँजीगत परिव्यय	2802.45	2016.36	71.95
10. उधार एवं अग्रिम	407.12	121.71	29.90
11. कुल व्यय	11873.10	10533.43	88.72
<b>(स) राजस्व बचत (+)/घाटा (-)</b>	<b>1793.03</b>	<b>239.53</b>	<b>13.36</b>
<b>(द) राजकोषीय घाटा</b>	<b>-1156.30</b>	<b>-1844.98</b>	<b>159.56</b>

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2008–09 में राजस्व बचत में परिवर्तित हुआ है तथा वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक अनुमानों में अनुमानित राजस्व बचत ₹0 1793.03 करोड़ रुपये के सापेक्ष वास्तविक औंकड़ों में ₹0 239.53 करोड़ हुई है। अर्थात् राजस्व बचत में कमी हुई है। राज्य सरकार वर्ष के अन्त में राजस्व अधिशेष में रही है। राजस्व बचत में यह कमी मुख्यतः आर्थिक मंदी के कारण स्वयं के कर तथा करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान में गिरावट के कारण है। राजकोषीय घाटे में भी बजट अनुमान के सापेक्ष बढ़ोत्तरी हुई है।

(2) वर्ष 2009–10 के सम्बंध में पुनर्विलोकन रिपोर्ट:—

वर्ष 2009–10 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार सरकार की राजकोषीय स्थिति निम्नवत् है:—

### तालिका—2

(धनराशि करोड़ रुपये में)

मद	बजट अनुमान 2009–10	पुनरीक्षित अनुमान 2009–10	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
1	2	3	4
<b>(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ</b>			
1. राज्य का स्वयं का कर राजस्व	3528.90	3528.90	100.00
2. करेतर राजस्व	1428.69	1428.69	100.00
3. केन्द्रीय करों में राज्याशं	1545.87	1545.87	100.00
4. केन्द्र सरकार से अनुदान	4444.21	4448.73	100.10
5. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	10947.67	10952.19	100.04
6. उधार एवं अग्रिम की वूसली	407.14	407.14	100.00
7. कुल गैर उधार प्राप्तियाँ	11354.81	11359.33	100.04
<b>(ब) व्यय</b>			
8. राजस्व व्यय	11161.11	12065.76	108.11
9. पूंजीगत परिव्यय	1956.93	2866.53	146.48
10. उधार एवं अग्रिम	307.77	309.19	100.46
11. कुल व्यय	13425.81	15241.48	113.52
<b>(स) राजस्व बचत</b>	-213.44	-1113.57	521.73
<b>(द) राजकोषीय घाटा</b>	-2071.00	-3882.15	187.45

(क) तालिका-2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2009–10 के पुनरीक्षित अनुमानों में सरकार की कुल गैर उधार प्राप्तियाँ बजट अनुमान में ली गयी कुल गैर उधार प्राप्तियों के लगभग बराबर रहने का अनुमान है।

(ख) पुनरीक्षित अनुमानों में कुल गैर उधार व्यय बजट अनुमान का 113.92 प्रतिशत रहने का अनुमान है जिसमें बजट अनुमान के सापेक्ष राजस्व व्यय के 108.11 प्रतिशत, पूँजीगत परिव्यय के 146.48 प्रतिशत एवं उधार एवं अग्रिम के 100.46 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

(ग) वर्ष 2009–10 के बजट अनुमानों में 213.44 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुमानित था, जिसके सापेक्ष पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा –1113.57 करोड़ रुपये तथा बजट अनुमानों में 2070.99 करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजकोषीय घाटा –3882.15 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस प्रकार बजट अनुमानों के सापेक्ष राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में बढ़ोत्तरी होने का अनुमान है। पुनरीक्षित अनुमानों में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 8.55 प्रतिशत है। जिसका मुख्य कारण निम्न है:—

वर्ष 2008–09 में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों तथा अप्रत्याशित वैश्विक मंदी के प्रारम्भ होने के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी आयी। इस मंदी का प्रभाव केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों पर भी पड़ा। जिसके फलस्वरूप राजस्व प्राप्तियों में गिरावट आयी है तथा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी खर्च में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुयी है जिसके फलस्वरूप राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा में बढ़ोत्तरी हुयी तथा राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा के लक्ष्यों को वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं किया जा सका। पुनरीक्षित अनुमानों में व्यय की मद में वर्ष 2009–10 के बजट अनुमान तथा अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित अनुमान बनाये गये हैं। चूंकि अभी वित्तीय वर्ष का समापन नहीं हुआ है तथा विभागों द्वारा व्यय में समर्पित (surrender) की गई धनराशि की सूचना बजट बनाने के समय तक वित्त विभाग को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी थी अतः पुनरीक्षित अनुमानों में वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान काफी कमी होने की सम्भावना है। इस कमी के कारण राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटे में भी काफी कमी होने की सम्भावना है।